न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 84/2018
प्रविष्टि दिनांक — 15.11.2018

बजरंग पुत्र छीतर जाति रेगर निवासी नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
—अपीलांट

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला—टोक
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार पीपलू दिनांक 30.05.2018 मिसल नम्बर 1374/2018

उपस्थिति : (1) श्री विवके चौधरी,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय — **दिनांक 01.08.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2018 के द्वारा अपीलांट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम नानेर तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 4/रू. पेनल्टी कायम की गई है। अपीलांट ने तहसीलदार पीपलू के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने दिनांक 30.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने पर अपीलांट को सबूत पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनाक 07.06.2018 नियत की गई थी। दिनांक 07.06.2018 को अपीलाट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ परन्तु पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार)जी को टोंक जाना बता कर रीडर साहब द्वारा पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिये जाने एंव तारीख पेशी की सूचना दिये जाने बाबत अपीलांट को कहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो तारीख पेशी की सूचना दी और ना ही पत्रावली में आगामी तारीख पेशी नियत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख पेशी मे काट—छाट कर दिनाक 30.05.2018 को ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है,जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने के साथ–साथ अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग भी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत है। अपीलांट का गै0मु0 रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। अपीलांट का जिस स्थान पर मकान व बाडा बना हुआ है उस भूमि पर अपीलांट के भाई महादेव के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है और उस भूमि पर ही अपीलांट ने अपना रिहायशी मकान व बाडा बना रखा है। मकान मे बिजली का कनेक्शन भी है और ग्राम पचायत द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। वर्तमान नक्शा शीट मे जिस स्थान पर गै0मु0 रास्ता आ0ख0नं0 625 मे दर्शा रखा है वहां मौके पर गत 40 वर्षो से कोई रास्ता नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई औ ना ही मौके का निरीक्षण किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाव देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 11 विस्वा,किस्म गै0मु0रास्ता वाके ग्राम नानेर तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बाडा बनाने पर तहसीलदार पीपलू द्वारा भूमि से बेदखल कर,पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट को साक्ष्य–सबूत पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख पेशी दिनांक 07.06.2018 नियत करने के उपरान्त तारीख पेशी मे काट–छाट कर पत्रावली का निर्णय दिनांक 30.05.2018 को किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अतः प्रकरण को पुनः विधिवत तरीके से सुनवाई करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलांट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 11 विस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम नानेर तहसील पीपलू पर अतिक्रमण कर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है।

अभिभाषक अपीलाट का कथन है कि अपीलांट को साक्ष्य–सबूत पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिंनाक 07.06.2018 नियत करने के उपरान्त तारीख पेशी मे काट–छाट कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2018 को ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है,जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है। अभिभाषक अपीलांट के कथन पर राजकीय अभिभाषक ने भी सहमति प्रदान की है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार पीपलू द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2018 अपास्त किया जाता है एंव तहसीलदार पीपलू को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि समस्त रिकार्ड व मौके की

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

जांच कर तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested